न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/45/2019

प्रवेश तिथि 25.06.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री रामगोपाल यादव पुत्र श्री टोडाराम यादव, निवासी–सांथलपुर, तहसील–बानसूर (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बानसूर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 29.07.19

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन दिनांकः 04.05.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर आवेदन में अंकित भूमि पर मालिकाना हक संबंधी 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई।
5. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवेदक को उक्त आवेदन दिनांकः 04.05.19 में वर्णित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 20.06.19 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को पत्रांकः 695–96 दिनांकः 25.06.19 व स्मरण पत्र सं. 715–16 दिनांकः 02.07.19 के माध्यम से जरिये नोटिस तलब कर जवाब चाहा गया। प्रथम अपील में नोटिस जारी करने के बावजूद भी प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 04.05.19 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1)क से 8(1)ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार–बार नोटिस जारी करने उपरान्त भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(राज0)

8. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

9. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में **अभिलेख पर उपलब्ध वांछित सूचनाएं** नियमानुसार स्पष्ट रूप से अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे। वांछित सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी तद्नुसार विधिक विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित करें।

10. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

(भगवतसिंह देवल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)